न0:–219/2022 उनवानः– छीतर बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी 2

न0 219/2022 दिनांकः– 06.12.2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. छीतर पुत्र पपैया
2. लालचन्द पुत्र पपैया
3. रामपति पुत्री पपैया

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान मोरडा तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136

उपस्थितिः– श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट (वादीगण)
परौकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक 02.01.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोरडा की आराजी ख0न0 3603/0.23 है0, 3604/0.21 है0, 3605/0.34 है0, 3606/0.09 है0, 3607/0.24 है0, 3608/0.31 है0, 3645/0.19 है0 कुल किता 7 कुल रकवा 1.61 है0 मे वादी न0 1 का 1/4, वादी न0 2 का 1/4, वादीया न0 3 का 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तहसील कर्मचारियो ने गफलत व लापरवाही से वादी न0 1 छीतर से स्थान पर सीताराम दर्ज कर दिया है जो गलत है तथा वादी न0 1 ता 3 की जाति बैरवा के स्थान पर जाटव दर्ज कर दिया है, जो पूरी तरह से गलत इन्द्राज किया है क्योकि वादीगण की जाति बैरवा है। वादीगण के समस्त सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, मे छीतर नाम दर्ज है। तथा वादी न0 1 ता 3 के समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, वोटर लिस्ट आदि मे जाति बैरवा दर्ज है।

बॉका दिनांक 1.12.22 को वादीगण ने बैक से लोन लेने हेतु जमाबन्दी निकलवाई तथा हल्का पटवारी के पास ऋण हेतु पत्रावली बनवाने गये तब जाकर उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। वादीगण उसी दिवस को तहसील टोडाभीम मे गये और तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती बावत निवेदन किया लेकिन तहसीलदार टोडाभीम ने राजस्व रिकार्ड मे हुए उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादीगण से न्यायालय मे कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:24:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती [illegible] राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम मोरडा की आराजी ख0न0 3603/0.23 है0, 3604/0.21 है0, 3605/0.34 है0, 3606/0.09 है0, 3607/0.24 है0, 3608/0.31 है0, 3645/0.19 है0 कुल किता 7 कुल रकवा 1.61 है0 मे सीताराम को हजफ किया जाकर छीतर पुत्र पपैया दर्ज किया जावे एवं वादी न0 1 ता 3 की जाति जाटव के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण के पिता के फौत होने पर नामान्तकरण न0 268 से आया है। ग्राम मोरडा की जमाबन्दी

(सुनीता मीना)

3

म्वत 2076–79 के ख0न0 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3645 कुल किता 7 कुल रकवा 61 है0 रूमाली पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/3 जाति बैरवा, लालचन्द,सीताराम पि0 पपैया जाटव स्सा 1/2, रामपति पुत्री पपैया जाति जाटव हिस्सा 1/6 सा.देह. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। दीगण न0 1 का वास्तविक नाम छीतर पुत्र पपैया है। छीतर पुत्र पपैया व सीताराम पुत्र पपैया नो एक ही व्यक्ति के नाम है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम मोरडा मे नही है इनकी जाति रवा है तथा लालचन्द, रामपति पत्नि पपैया की जाति बैरवा है वादी न0 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात धार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र मे वादी का नाम छीतर पुत्र पपैया दर्ज है।

वादीगण वकील की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम मोरडा की आराजीयात किता 7 कुल रकवा 1.61 है0 मे दी न0 1 का नाम सीताराम पुत्र पपैया जाति जाटव दर्ज रिकार्ड है। वादीगण न0 2 व 3 की ति जाटव दर्ज रिकार्ड है। वादीगण के समस्त दस्तावेजात मे वादी न0 1 का छीतर पुत्र पपैया ति बैरवा तथा वादी न0 2 व 3 की जाति बैरवा का अंकन है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे ताराम पुत्र पपैया जाति जाटव के स्थान पर छीतर पुत्र पपैया जाति बैरवा तथा वादी न0 2 व 3 जाति जाटव के स्थान पर बैरवा दर्ज करने के आदेश जारी किया जावे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का वलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम मोरडा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 8 मे दर्ज कुल किता खसरा 7 कुल रकवा 1.61 है0 मे रूमाली देवी पत्नि रामनिवास हिस्सा 1/3 ति बैरवा, रामपति पुत्री पपैया हिस्सा 1/6 जाति जाटव, लालचन्द पुत्र पपैया हिस्सा 1/4 जाति टव, सीताराम पुत्र पपैया हिस्सा 1/4 जाति जाटव दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल वादी न0 का आधार कार्ड न0 3690 5891 9745, बैक ऑफ बडौदा के खाता न0 20720100008454, परिवार शन कार्ड न0 007627500211, जॉब कार्ड,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र क्रमांक .एस.एक्स/1184647 मे छीतर पुत्र पपैया जाति बैरवा का अंकन है। तथा वादी न0 2 का आयकर 0 ई.आर.ए.पी.बी. 6760 बी, आधार कार्ड न0 4060 6102 6191, जन आधार कार्ड न0 5100038620 लालचन्द पुत्र पपैया जाति बैरवा का अंकन है। व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब मे भी वादीगण ा नाम व जाति शुद्व करने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत ावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम मोरडा की आराजीयात ख0न0 3603/0.23 है0, 3604/0.21 है0, 605/0.34 है0, 3606/0.09 है0, 3607/0.24 है0, 3608/0.31 है0, 3645/0.19 है0 कुल किता 7 ुल रकवा 1.61 है0 मे सीताराम पुत्र पपैया हिस्सा 1/6 जाति जाटव के स्थान पर छीतर पुत्र पैया हिस्सा 1/6 जाति बैरवा तथा वादी न0 2 व 3 की जाति जाटव के स्थान पर बैरवा दर्ज केया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम निर्णयानुसार पालना करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:24:40 IST
Reason: SelfAttested